क्रमांक................

कृषि उपज विपणन समिति, आजादपुर, दिल्ली

(राष्ट्रीय महत्व की मण्डी)

किसान - हाट

अन्धेरिया मोड़

आवेदन पत्र - किसान पहचान पत्र हेतू

फोटो

नमूने का हस्ताक्षर

1. नाम (जिस किसान के नाम कृषि भूमि है) : ---

2. पति/पिता का नाम : ---

3. भूमि का विवरण : खसरा नं0............................ मौजा............................

4. कृषि उपज का विवरण (वर्ष का ब्यौरा) : ---

5. घर का पता : ---

6. संलग्न दस्तावेज :–

   (1) राशन कार्ड/पहचान पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी
   (2) फरद/खसरा/गिरदावरी /टेनेन्सी डीड /पट्‌टे की सत्यापित प्रतिलिपी
   (3) 2 पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ क्र.सं. (1 फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाये और एक अलग से संलग्न करें)
   (4) अन्य कागजात हैं:–
      1.
      2.
      3.
      4.

मैं प्रमाणित करता हूॅ की उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी अनुसार सत्य है। ए०पी०एम०सी० आजादपुर के किसान हाट के आवंटन की प्रत्येक शर्त जो समय–समय पर निर्धारित की जायेगी का अनुपालन करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

किसान पहचान पत्र जारी करने की निम्न शर्ते हैः–

1. उपज की बिक्री हेतु किसानो को दैनिक आधार पर स्थान क्रमानुसार दिया जाएगा। जो स्थान किसी भी किसान को एक बार आवंटित होगा, वह अगले तीन दिनों तक उसे आवंटित नही होगा।

2. पहचान पत्र प्रथम अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष के लिए वैद्य होगा और माह फरवरी /मार्च में पहचान पत्र के नवीकरण हेतु कृषि उपज मण्डी समिति, आजादपुर को आवेदन करेगा।

3. पहचान पत्र का दुरूपयोग नही होगा। इसका दुरपयोग करने पर पहचान पत्र रद्द किया जा सकता है।

4. मण्डी में केवल फुटकर बिक्री ही की जायेगी जो प्रति जिन्स प्रति उपभोक्ता 10 किलो से अधिक नही होगी।

5. पहचान पत्र अहस्तांतरित हैं। इसका दुरूपयोग करने पर पहचान पत्र रद्द किया जा सकता है।

6. किसान एक दिन में 5 क्विंटल से अधिक माल नही लायेगा।

7. केवल किसान पहचान पत्र धारक ही किसान हाट में अपनी फल व सब्जी बेचने के लिए प्राधीकृत होगा। उनके अतिरिक्त किसी को कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी।

8. मण्डी में उपज की कीमतों का निर्धारण प्रभारी किसान हाट, किसानों के प्रतिनिधियों की सलाह से आजादपुर मण्डी के प्रतिदिन के थोक भाव के आधार पर खुदरा भाव निश्चित होगा।

9. यदि सुबह 8 बजे तक कृषि जिन्सो के भाव तय नही हो पाते हैं तो पिछले दिन के भाव के आधार पर ही क्रय–विक्रय होगा।

10. किसान क्रय / विक्रय के स्थान को साफ सुथरा रखेगा।

11 स्थाई स्थान के लिए किसान दावा नही करेगा।

12. किसान हाट में कृषि उपज की बिक्री पर मण्डी शुल्क व कमीशन देय नही है।

13. मण्डी समिति द्वारा निर्धारित समय में ही माल का क्रय–विक्रय किया जा सकता है।

14. किसान पहचान पत्र को मण्डी समिति कभी भी बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है।

15. अन्य शर्तें जो समय–समय पर मण्डी समिति आजादपुर द्वारा लागू होगी किसान उन सभी को मानने के लिए बाध्य है।

16. किसान आवंटित स्थान के उपयोग के लिए प्रतिदिन 25 रूपये देय होगे।

17. किसान वित्तीय वर्ष में तीन फसल को 50 दिन ही मंडी में बेच सकेगा।